

801
15/9/20

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

*क्रो. १४९
देहरादून
५५०६०८*
विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:- 333/2019 के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र-खटीमा के अन्तर्गत झानकट-बिरिया-श्रीपुर-बिछुवा-बिगराबाग-चकरपुर-कलापुल-झानकईया-मुडेली-सत्रहमील- नानकसागर(राज्य मार्ग संख्या-70) को उच्चीकृत कर दो लेन में परिवर्तन किये जाने का कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन, जिसकी कुल लागत ₹ 54.28 कि०मी० एवं लागत ₹ 22.48 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 22.48 लाख (₹ बाईस लाख अड़तालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i)- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन निर्गत की जा रही है कि प्रश्नगत कार्य के द्वितीय चरण की स्वीकृति का वित्त पोषण केन्द्रीय योजनाओं से किया जायेगा।
- (ii)- उपल स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समर्गदात् रूप से पर्याप्त किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं० 1764 / III(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (iii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iv)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक राशि कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (v)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (vi)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vii)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय मे समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट में गुल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047 / XIV- 219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1611

C.E.I.(P)

संख्या- 1717/ 111(2)/ 20-70(एम०एल०ए०)/ 2017

802
८८०(P)मा

SAO दि:-
26
1619

देहरादून : दिनांक 14 सितम्बर, 2020

क्रो. १४९
देहरादून
५५०६०८

SAO दि:-
165

क्रीकोटा
१४११/२०

(ix) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिपिटंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-२२ लेखाशीर्षक-५०५४ सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-०४ जिला तथा अन्य सड़कों-३३७-सड़क निर्माण कार्य-०२०३-सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-०० -५४ भूमि क्रय में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निर्वतन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(x)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।


(xi)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय ३१-०३-२०२१ तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निर्वतन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xii) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xiii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ ०.१० लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-१ के शासनादेश सं०-१८३ / XXVII(1)/२०१२ दिनांक २८ मार्च, २०१२ के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-२२, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई०डी० संख्या:- S20090220039 दिनांक ११ सितम्बर, २०२० के द्वारा आपको आवंटित कोड सं०-४२२७ Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के आय-व्ययक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-२२-लेखाशीर्षक-५०५४ सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-०४ जिला तथा अन्य सड़कों-३३७ सड़क निर्माण कार्य-०३ राज्य सेक्टर-०३०२ नया निर्माण कार्य-५३ वृहद निर्माण कार्य (५०५४-०४-८००-०३-०२ से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-२ के अशासकीय संख्या-२९३ / XXVII(2)/२०२० दिनांक ०९ सितम्बर, २०२० में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।


भवदीय,
(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव

संख्या- १११(२) / २०-७०(एम०एल०ए०) / २०१७ तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
२. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
३. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
४. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
५. क्षेत्रीय मुख्य अधिकारी, लो०पी०वी०, देहरादून।
६. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून / ऊधमसिंहनगर।
७. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
८. वित्त अनुभाग-२, उत्तराखण्ड शासन।
९. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
१०. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा।
११. गार्ड बुक प्राप्त अभियन्ता एवं विधायिका, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण विभाग, देहरादून दि १८/७/२०२०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार विधायिका द्वारा अनुभाग कार्यवाही के लिए प्राप्त
१/ मुख्य अधिकारी लो०पी०वी०, देहरादून
२/ विधायिका अधिकारी चतुर्थ वृत्त लो०पी०वी०, रुद्रपुर
३/ अधिकारी अधिकारी लो०पी०वी०, रुद्रपुर
४/ अधिकारी अधिकारी गार्ड बुक प्राप्त अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०पी०वी०, खटीमा
५/ अधिकारी अधिकारी गार्ड बुक प्राप्त अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०पी०वी०, देहरादून

आज्ञा से,
(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

B
(वाई०एल०राधित)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी



**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)**

आवंटन पत्र संख्या -1717/III(2)/20-70(MLA)/2017
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S20090220039
आवंटन पत्र दिनांक-11-SEP-2020

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-District and other Roads
	337-सड़क निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04- 800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम	पूर्ति में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग								
53-वृहद निर्माण	1320000	10000	0	1330000								
योग	1320000	10000	0	1330000								

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER